# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 14/300

1. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 मोती लाल जाति महाजन ।
2. किशन लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. पीयूष विजय पुत्र स्व0 किशनलाल ।
   2/2. अलंकार विजिय पुत्र स्व0 किशनलाल ।
   2/3. शालिनी विजय पुत्री स्व0 किशनलाल ।
   2/4. संगीता विजय पुत्री स्व0 किशनलाल ।
   2/5. श्रीमती दया विजय बेवा स्व0 किशन लाल जाति महाजन निवासीगण ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल आकाशवाणी, कोटा ।
3. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 मोतीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. कैलाश बाई पुत्री डामा जाति नायक ।
2. भवानी शंकर उर्फ मनोज (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती रेखा बाई पत्नी स्व0 भवानी शंकर उर्फ मनोज ।
   2/2. राजू नाबालिग पुत्र स्व0 भवानी शंकर उर्फ मनोज आयु 03 वर्ष ।
   2/3. रवि आयु 01 वर्ष पुत्र स्व0 भवानी शंकर उर्फ मनोज नाबालिगान जरिये वली माता रेखा बाई पत्नी स्व0 भवानीशंकर उर्फ मनोज जाति नायक निवासीगण ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. बालमुकुन्द पुत्र सूरजमल पौत्र डामा जाति नायक ।
4. रूकमणी पुत्री सूरजमल पौत्री डामा जाति नायक ।
5. कैलाश बाई बेवा सूरजमल जाति नायक निवासीगण ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 21.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में गत खसरा नम्बर 265 की रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये नम्बर 640 रकबा 0.61 हैक्टर कायम किये गये । उक्त आराजी दिनांक 31.07.1971 को स्वयं खातेदार डामा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया तब से उक्त आराजी पर वादीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । राजस्व रिकॉर्ड में डामा पुत्र गोरिया का नाम दर्ज है । डामा की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.01.2010 को नामान्तरकरण संख्या 541 से अपना नाम दर्ज करवा लिया जो प्रारम्भ से प्रभावशून्य है क्योंकि डामा स्वयं उक्त आराजी को वादीगण के पिता को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर चुके हैं । विक्रेता के वारिसान का अब उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक शेष नहीं रहा है । वादग्रस्त आराजी पर विक्रेता एवं प्रतिवादीगण की कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है । वादीगण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि नामान्तरकरण संख्या 541 दिनांक 25.01.2010 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित करते हुए आराजी खसरा नम्बर 640 रकबा 0.61 हैक्टर वाके ग्राम रामराजपुरा का वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि गलत नामान्तरकरण के आधार पर वे वादग्रस्त आराजी के किसी भाग को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण नहीं करें और वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 43 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं और वे कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया धारा 183 व धारा 175 की कार्यवाही की अवधि समाप्त हो चुकी है और 43 वर्ष पुराना स्वीकृत कब्जा होने के आधार पर वादीगण उक्त भूमि पर खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 265 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम

रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है उक्त भूमि दिनांक 13.07.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्टगण के पिता ने क्रय की थी । खातेदार के द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर क्रेता को कब्जा संभला दिया था । इसके उपरान्त प्रतिवादीगण के दादा गॉव छोडकर चले गये थे । अपीलान्टगण का कब्जा निरन्तर सन् 1971 से निर्बाध रूप से चला आ रहा है । फोती इंतकाल सीधा पौत्रों के नाम तहसीलदार, लाडपुरा को खोलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि एक बार भूमि विक्रय करने के बाद डामा का उक्त भूमि में कोई हक या अधिकार नहीं रहा था तो फिर उनके पुत्र व पौत्रों का भी उक्त आरजिी में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है । अपीलान्टगण विक्रय पत्र के आधार पर 43 वर्षों से कब्जे के आधार पर इस आराजी के खातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । प्रतिवादीगण ने दावे का खण्डन नहीं किया है । दावा स्वयं प्रमाणित था फिर भी दावा वादीगण खारिज किया है और धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही के निर्देश देने में कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । दावे के साथ संलग्न दस्तावेज में नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम रामराजपुरा की आराजी नया खाता संख्या 74 की हाल खसरा नम्बर 640 रकबा 0.61 हैक्टर आराजी डामा पुत्र गोरिया जाति नायक के खाते में दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 541 का नोट अंकित है । नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2016 सें 2025 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार डामा वल्द गोरिया के साबिक खसरा नम्बर 145 की 05 बीघा 01 बिस्वा एवं साबिक खसरा नम्बर 265 की 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 265 मिन के हाल खसरा नम्बर 640 रकबा 0.61 हैक्टर कायम हुए हैं । पत्रावली पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श– 4–ए और फोटो प्रति नकल नामान्तरकरण संख्या 541 प्रदर्श– 5–ए संलग्न हैं ।

9. पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी डामा पुत्र गोरिया और उनकी मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 541 के अनुसार प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज हुई है जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । वादीगण सवर्ण जाति के हैं उनके पक्ष में किये गये विक्रय के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता क्यों कि विक्रय धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अवैध है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी को अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खाते की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वाद वादीगण खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.10.2014 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# अपील में डिक्री

## (आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

### बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 14/300**

1. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 मोती लाल जाति महाजन ।
2. किशन लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. पीयूष विजय पुत्र स्व0 किशनलाल ।
   2/2. अलंकार विजिय पुत्र स्व0 किशनलाल ।
   2/3. शालिनी विजय पुत्री स्व0 किशनलाल ।
   2/4. संगीता विजय पुत्री स्व0 किशनलाल ।
   2/5. श्रीमती दया विजय बेवा स्व0 किशन लाल जाति महाजन निवासीगण ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल आकाशवाणी, कोटा ।
3. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 मोतीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

**––अपीलार्थी**

**बनाम**

1. कैलाश बाई पुत्री डामा जाति नायक ।
2. भवानी शंकर उर्फ मनोज (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती रेखा बाई पत्नी स्व0 भवानी शंकर उर्फ मनोज ।
   2/2. राजू नाबालिग पुत्र स्व0 भवानी शंकर उर्फ मनोज आयु 03 वर्ष ।
   2/3. रवि आयु 01 वर्ष पुत्र स्व0 भवानी शंकर उर्फ मनोज नाबालिगान जरिये वली माता रेखा बाई पत्नी स्व0 भवानीशंकर उर्फ मनोज जाति नायक निवासीगण ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. बालमुकुन्द पुत्र सूरजमल पौत्र डामा जाति नायक ।
4. रूकमणी पुत्री सूरजमल पौत्री डामा जाति नायक ।
5. कैलाश बाई बेवा सूरजमल जाति नायक निवासीगण ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

**––प्रत्यर्थी**

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.10.2014 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।**

**वाद संख्याः 169/दावा/2014**

1. प्रेमचन्द पुत्र स्व0 मोती लाल जाति महाजन ।
2. किशन लाल पुत्र स्व0 मोतीलाल जाति महाजन ।

3. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 मोतीलाल जाति महाजन
4. कंचन बाई बेवा स्व0 मोतीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––वादी

**बनाम**

1. कैलाश बाई पुत्री डामा जाति नायक ।
2. भवानी शंकर उर्फ मनोज (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती रेखा बाई पत्नी स्व0 भवानी शंकर उर्फ मनोज ।
   2/2. राजू नाबालिग पुत्र स्व0 भवानी शंकर उर्फ मनोज आयु 03 वर्ष ।
   2/3. रवि आयु 01 वर्ष पुत्र स्व0 भवानी शंकर उर्फ मनोज नाबालिगान जरिये वली माता रेखा बाई पत्नी स्व0 भवानीशंकर उर्फ मनोज जाति नायक निवासीगण ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. बालमुकुन्द पुत्र सूरजमल पौत्र डामा जाति नायक ।
4. रूकमणी पुत्री सूरजमल पौत्री डामा जाति नायक ।
5. कैलाश बाई बेवा सूरजमल जाति नायक निवासीगण ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

## अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 21.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.10.2014 बहाल रखा ज़ाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 21.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

**मुहर**

21/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा